रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932
No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पांचवां संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 04)

सं. 305-17/2010-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) तथा उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पांचवां संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में,—

(क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) इन विनियमों के विनियम 12, 18, 19, 20, 21 और 22, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जोकि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।"

3. प्रधान विनियमों के विनियम 17 में,—

(क) उप-विनियम (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(11) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, किसी टेलीमार्केटर को पहले से आवंटित किए गए दूरसंचार संसाधनों को ऐसी तारीख से वापस ले लेगा, जोकि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।"

4. प्रधान विनियमों के विनियम 25 में,—

(क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के विनियम 12, 16, 17 और 18 में अंतर्विष्ट उपबंध उस समय तक प्रवृत्त रहेंगे, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।"

आर. के. आर्नल्ड, सचिव

[विज्ञापन III/4/142/10/असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस, दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित हुए थे ।

टिप्पणी 2 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुए थे ।

टिप्पणी 3 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस द्वारा पुनः संशोधित (दूसरा संशोधन) किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुए थे ।

टिप्पणी 4 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस द्वारा पुनः संशोधित (तीसरा संशोधन) किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 31 जनवरी, 2011 को प्रकाशित हुए थे ।

टिप्पणी 5 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस द्वारा पुनः संशोधित (चौथा संशोधन) किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 28 फरवरी, 2011 को प्रकाशित हुए थे ।

टिप्पणी 6 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पांचवां संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 04) के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तंत्र का उपबंध करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 जारी किए थे । विनियमों के विनियम 13, 14, 15, 16 और 17, 15 जनवरी, 2011 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे, जबकि विनियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 10 फरवरी, 2011 से क्रियान्वित किए गए थे ।

2. दूरसंचार विभाग द्वारा पत्र सं. 16-5/2009-एएस. III/(खंड IV) दिनांक 31 जनवरी, 2011 के माध्यम से '140' नम्बर शृंखला प्रदान की गई है जिसे मोबाइल नेटवर्क के लिए टेलीमार्केटरों को आवंटित किया जाना है । तथापि, फिक्सड नेटवर्क के लिए नम्बर शृंखला अभी तक आवंटित नहीं की गई है । टेलीमार्केटरों को फिक्सड नेटवर्क के लिए नम्बर शृंखला आवंटित किए जाने के लिए मामला तात्कालिक आधार पर उठाया गया है । एक्सेस प्रदाताओं ने यह संकेत दिया है कॉल सेंटरों से उत्पन्न होने वाले उच्च टैरिफ के परिणामस्वरूप ऐसे कॉल सेंटरों को सभी संसाधन उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। दूरसंचार विभाग से फिक्सड लाइन नेटवर्क से संख्यांकन संसाधन उपलब्ध न होने के कारण दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 के प्रासंगिक खण्डों के क्रियान्वयन की तारीख 28 फरवरी, 2011 को विनियमों में चौथे संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। तथापि, आज तक दूरसंचार विभाग ने फिक्सड लाइन नेटवर्क से टेलीमार्केटरों को संख्यांकन संसाधन आवंटित नहीं किए हैं। सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीमार्केटर को संसाधनों का आवंटन किए जाने से पूर्व इस नई शृंखला का क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित होगा । इस उद्देश्य के लिए एक्सेस प्रदाताओं को उनकी प्रणाली में विन्यास संबंधी परिवर्तन करने तथा नई शृंखला का परीक्षण करने के लिए समय की आवश्यकता होगी । दूरसंचार विभाग द्वारा अभी तक कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। तदनुसार, दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 के प्रासंगिक खण्डों में संशोधन किया गया है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2011

The Telecom Commercial Communications Customer Preference (Fifth Amendment) Regulations, 2011 (4 of 2011)

No. 305-17/2010-QoS.—In exercise of powers conferred by Section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Fifth Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal regulations),—

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) Regulations 12, 18, 19, 20, 21 and 22 of these regulations shall come into force, from such date as may be notified by the Authority."

3. In regulation 17 of the principal regulations,—

(a) for sub-regulation (11), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(11) Every Access Provider shall withdraw the telecom resources already allotted to a telemarketer from such date as may be notified by the Authority."

4. In regulation 25 of the principal regulations,—

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) the provisions contained in regulations 12, 16, 17 and 18 of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007) shall remain in force till such time, as may be notified by the Authority."

R. K. ARNOLD, Secy.

[ADVT III/4/142/10/Exty.]

Note 1 : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 305-17/2010-QoS dated 1st December, 2010.

Note 2 : The principal regulations were amended *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 14th December, 2010.

Note 3 : The principal regulations were further amended (Second Amendment) *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 28th December, 2010.

Note 4 : The principal regulations were further amended (Third Amendment) *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 31st January, 2011.

Note 5 : The principal regulations were further amended (Fourth Amendment) *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 28th February, 2011.

Note 6 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of Telecom Commercial Communications Customer Preference (Fifth Amendment) Regulations, 2011 (4 of 2011).

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism for curbing unsolicited commercial communications. Regulation 13, 14, 15, 16 and 17 of the regulations were implemented with effect from the 15th day of January, 2011, while regulation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 were implemented with effect from the 10th day of the February, 2011.

2. DoT *vide* letter No. 16-5/2009-AS. III/(Vol. IV), dated 31st January, 2011 has provided '140' number series to be allocated to telemarketers for mobile network. However, number series for fixed network are still not allocated. The matter has been taken up on urgent basis to allocate number series to telemarketers for fixed network. Access Providers have indicated that it will not be possible to provide all the resources to call centres from mobile network only due to high traffic originated from such call centres. Due to non-availabilty of numbering resources from fixed line network from DoT date of implementation of relevant clauses of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 has been extended upto 21st March, 2011 through the fourth amendment to the regulations on 28th February, 2011. However, till date DoT has not allocated the numbering resources for telemarketers from fixed line network. This new numbering series will be required to be implemented by all Access Providers before allocation of resources to telemarketer. For this purpose time will be required by Access Providers to change the configuration in their system and test the new series. No time frame has been specified by DoT as of now. Accordingly, relevant clauses of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 have been amended.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.